NABARD

संदर्भ सं. राबैं.डॉस/पॉल/ 4203 / जे.1/ 2018-19
15 फरवरी 2019

परिपत्र सं. 36 / डॉस - 01 / 2019

अध्यक्ष
सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

प्रिय महोदय

भारत सरकार से प्राप्य ब्याज सहायता राशि पर जोखिम भारिता निर्धारित करने के संबंध में

हमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और प्रायोजक बैंकों से "भारत सरकार से प्राप्य ब्याज सहायता राशि" के लिए जोखिम भारिता निर्धारित करने के संबंध में संदर्भ प्राप्त हुए हैं। हमने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से इस मामले की जांच की है और हम सूचित करते हैं कि -

i. चूंकि ' प्राप्य ब्याज सहायता राशि' भारत सरकार से सीधे दावे के रूप में प्राप्त होती है, अतः इस पर जोखिम भारिता 'शून्य' रखी गयी है।
ii. 'प्राप्य ब्याज सहायता राशि' को 'अन्य आस्तियां' शीर्ष के अंतर्गत "भारत सरकार से प्राप्य ब्याज सहायता" नामक एक अलग उप-शीर्ष के तहत शून्य प्रतिशत की जोखिम भारिता के साथ रिपोर्ट किया जाए।

2. अन्य मदों की जोखिम भारिता भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 21 अक्तूबर 2014 के परिपत्र सं.आरपीसीडी.कॉ.आरआरबी.बीसी सं.35/ 03.05.33/ 2014-15 में इंगित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

3. कृपया दिनांक 16 मार्च 2018 के हमारे परिपत्र सं.राबैं.डॉस.प्रका.पॉ/ 4797/ जे-1/2017-18 (परिपत्र सं.47/डॉस-14/ 2018) के माध्यम से प्रेषित अनुदेशों को रद्द मान लिया जाए।

4. कृपया इस परिपत्र की पावती हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भिजवा दें।

भवदीय

(के आर राव)
मुख्य महाप्रबंधक

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
National Bank for Agriculture and Rural Development
पर्यवेक्षण विभाग
प्लॉट क्र सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. टेली: +91 22 2653 1834 • फ़ैक्स: +91 22 2653 0103 • ई मेल: dos@nabard.org
Department of Supervision
Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel.: +91 22 2653 1834 • Fax: +91 22 2653 0103 • E-mail: dos@nabard.org